न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(के0के0 शर्मा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 7/2018
प्रविष्टि दिनांक 5 1–2018

मुरारीलाल पुत्र केसरा मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 –अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला–टोंक राजस्थान –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18–9–2017

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम जाट, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 11–11–2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 18–9–2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम मोहम्मदपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट की प्रोपर तामिल हुये विना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। नायव तहसीलदार ने एक ही निर्णय द्वारा अपीलाण्ट को तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाएं एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट की सुनवाई किये विना उक्त निर्णय एक तरफा मे पारित किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को जिरह करने का

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की अतिक्रमण करने की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की है ओर उस रिपोर्ट को आधार मानकर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सजायाब करने में गलती की है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट स्वंय की विधिवत तामील हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने गैर मुमकिन रास्ते पर बाड़ा बना कर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि सिवायचक एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा भी रिपोर्ट में अंकित किया है किमौके पर से पुलिस व प्रशासन द्वारा कब्जा हटाया जाकर विवादित भूमि खाली करादी गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः **अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।**

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया है। जिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है, किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोशनपुरा की खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का ने अपने बयानो मे अंकित किया है कि उक्त भूमि की गश्त मौके पर जाकर की है, तथा अतिक्रमी ने गत वर्ष भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 59 निर्णय दिनांक 27—9—2016 से बेदखल किया गया है। इससे सिद्व है कि अपीलण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं राजहित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18—9—2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है, कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28—11—2019 तक एक 50 रू. के शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करे, कि प्रार्थी ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है एंव वह या उसके परिवार का कोई सदस्य विवादित राजकीय भूमि अथवा अन्य राजकीय भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः नायब तहसीलदार सोप जॉच कर यह सुनिश्चित कर लेवे कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर अब कब्जा नहीं है एवंम् वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के0के0 शर्मा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक
11.XI.19

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:00:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: